



कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 1938/री०ए०डी०एम०/2018

इन्दौर, दिनांक 31/08/2018

:: आ दे श ::


(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

अति० पु०अ०(मुख्यालय), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन पत्र क्र० पुअ/जिविशा/इंदौर/2018(760) दिनांक 25/08/2018 से तथा समाचार पत्रों आदि माध्यम से अवगत कराये गये अनुसार व सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि इन्दौर जिला सीमान्तगत विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन, रैलियां एवं सभाएं आयोजित की जाती है । जिससे क्षेत्र का यातायात बाधित होता है तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । इस संबंध में पुलिस द्वारा भी उक्त स्थिति पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के उक्त आयोजनों को प्रतिबंधित किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने बाबद् अनुरोध किया गया है :-

2/ अतः मैं निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर यातायात को बाधित होने से रोकने एवं कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत इन्दौर जिला सीमान्तगत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन को पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ ।

3/ यह भी आदेशित किया जाता है कि अनुमति उपरांत होने वाले उक्त आयोजनों में निम्नलिखित कृत्य भी प्रतिबंधित रहेंगे :-


1. सभी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा । माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय इयूटी पर लगाए गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
2. किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म/व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल(निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा ।
3. किसी भी भवन/सम्पत्ति(सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित होगा ।
4. मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे. लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा ।


District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

4/ उक्तादेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है । अतः उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है ।

5/ आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनांक 31/08/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 01/09/2018 से दिनांक 29/10/2018 तक प्रभावशील रहेगा ।



(निशांत बरवड़े)
कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

इन्दौर, दिनांक : 31/08/2018

पृ0क्रमांक / 1939 /री.ए.डी.एम./2018

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
3. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
5. अपर कलेक्टर एवं अति0 जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी क्षेत्र, इन्दौर
6. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / यातायात/ ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धित थानों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अग्रेषित ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड्डैल, कम्पेल, साँवेर, महू, देपालपुर, हातोद, सेन्द्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर ।
8. एस0डी0ओ0(पुलिस), महू, साँवेर, देपालपुर ।
9. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्द्रल कोतवाली, संयोगितागंज, परदेशीपुरा, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, आंधी नगर, खजराना क्षेत्र, इन्दौर ।
10. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/ जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
11. थाना प्रभारी, थाना जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
12. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर ।



कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)